रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-16022021-223584 CG-DL-E-16022021-223584

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3899] No. 3899] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 8, 2020/अग्रहायण 17, 1942 NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 8, 2020/AGRAHAYANA 17, 1942

# स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2020

का.आ. 4439(अ)—केंद्र सरकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथा संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, प्रो. रत्न कांत भुयां, प्रोफेसर और पूर्व विभागाध्यक्ष, जनरल सर्जरी विभाग, असम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, डिब्र्गढ़, असम को डॉ. जी. के. मेधी, प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, सामुदायिक औषिध, नीग्रीम्स, शिलोंग, मेघालय के स्थान पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गुवाहाटी का सदस्य नामित करती है और उस उद्देश्य के लिए का.आ 1183(अ.) दिनांक 20 मार्च, 2020 के माध्यम से भारत के राजपत्र भाग-II, खंड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सं. जैड-28016/178/2019- पीएमएसएसवाई –IV दिनांक 11 मार्च, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है: —

उपरोक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 14 और उससे संबंधित प्रविष्टि को निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत :

"14. डॉ. रत्न कांत भुयां, प्रोफेसर और पूर्व विभागाध्यक्ष, जनरल सर्जरी विभाग, असम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, डिब्रगढ़, असम "

[फा. सं. जैड-28016/178/2019-पीएमएसएसवाई-IV]

सुनील शर्मा, संयुक्त सचिव

5991 GI/2020 (1)

# MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th October, 2020

**S.O.** 4439(E).—In exercise of powers conferred by Clause (f) of Section 4 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates **Dr. Ratna Kanta Bhuyan, Professor and former HoD, Department of General Surgery, Assam Medical College and Hopsital, Dibrugarh, Assam, to be member of Institute Body of All India Institute of Medical Sciences, <b>Guwahati** in place of Dr. G.K. Medhi, Professor & HoD, Community Medicine, NEIGRIHMS, Shillong, Meghalaya and for that purpose makes the following amendment in the notification of Government of India, Ministry of Health & Family Welfare, number Z-28016/178/2019-PMSSY-IV dated the 11<sup>th</sup> March, 2020 published in the Gazette of India Part II, section 3, Sub-Section (ii) vide SO 1183 (E) dated the 20<sup>th</sup> March, 2020:

In the said notification, for serial number 14 and the entry relating thereto, the following serial number and entry should be substituted, namely:—

"14. Dr. Ratna Kanta Bhuyan, Professor and former HoD, Department of General Surgery, Assam Medical College and Hopsital, Dibrugarh, Assam"

The terms of office of member shall be governed by the provisions contained in Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956.

[F.No. Z-28016/178/2019-PMSSY.IV]

SUNIL SHARMA, Jt. Secy.

# शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2020

का.आ. 4440(अ)—दिनांक 20 मार्च, 2020 के माध्यम से भारत के राजपत्र भाग-II, खंड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सं. जैड-28016/178/2019-पीएमएसएसवाई-IV दिनांक 11 मार्च, 2020 में :

- (i) क्रम संख्या 12 पर, " डॉ. तुलसी भट्टाचार्य " के स्थान पर " डॉ. तुलसीदास भट्टाचार्य " पढ़ें
- (ii) क्रम संख्या 13 पर, " प्रो. नरेन बाबू " के स्थान पर " प्रो. थौ. नारानबाबू सिंह" पढ़ें

[फा. सं. जैड-28016/178/2019-पीएमएसएसवाई-IV]

सुनील शर्मा, संयुक्त सचिव

### **CORRIGENDA**

New Delhi, the 28th October, 2020

- **S.O. 4440(E).**—In the notification of Ministry of Health & Family Welfare , number Z-28016/178/2019-PMSSY-IV dated the  $11^{th}$  March, 2020 published in the Gazette of India (Extraordinary) vide SO 1183(E) dated the  $20^{th}$  March, 2020:
  - i. At S. No. 12, for "Dr. Tulsi Bhattacharya" read "Dr. Tulasidas Bhattacharyya"
  - ii. At S. No. 13, for "Prof. Naren Babu" read "Prof. Th. Naranbabu Singh"

[F. No. Z-28016/178/2019-PMSSY.IV]

SUNIL SHARMA, Jt. Secy.